



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

F. No. 2-7/2010-Admn/1076

दिनांक: 17/02/2023

कार्यालयी आदेश संख्या 39/AA-2022-23

विषय: सामाजिक विज्ञान संस्थान के अधिष्ठाता की नियुक्ति के संदर्भ में।

संदर्भ: माननीय कुलपति द्वारा दिनांक 16.02.2023 को अनुमोदित।

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 13 के साथ पठित संविधि 5(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सहर्ष प्रो. तापस कुमार दलपति, आचार्य, सामाजिक विज्ञान संस्थान को इसी संस्थान का अधिष्ठाता नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 16.02.2023 से तीन वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

यह कार्यालयी आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

Ms. Lata Kumari
कुलसचिव (प्रभारी)

सेवा में

प्रो. तापस कुमार दलपति

आचार्य

सामाजिक विज्ञान संस्थान

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

प्रति:

1. सभी अधिष्ठाता/अध्यक्ष एवं समन्वयक
2. प्रो. जय प्रकाश प्रधान, सामाजिक विज्ञान संस्थान
3. वित्त अधिकारी (कार्यवाहक)
4. परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)





गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

-
5. उप कुलसचिव (अकादमिक एवं प्रशासनिक)
 6. सहायक कुलसचिव (अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्त)
 7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी
 8. आईसीटी विभाग- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
 9. मानव संसाधन विभाग- अभिलेख हेतु
 10. अधिष्ठाता कार्यालय, सामाजिक विज्ञान संस्थान
 11. कुलपति सचिवालय
 12. कार्यालयी आदेश फाइल
 13. गार्ड फाइल